

8-5-19

शेखर

पत्रावली पेच दुर्गा पत्रावली में वादी  
 वादीकैल अनुपारिप्त है प्रतिवादी  
 सं० 2 स्वयं उपस्थित हुये 1 प्रतिवादी  
 सं० 1 अनुपारिप्त है आवाज लगावके  
 के बावजूद अनुपारिप्त है।


पत्रावली में विवाद ग्राहक कुदि  
 मौजा खेरवाड़ा कावती परवाह हलका  
 खेरवाड़ा बिलागास कावती गाम पंचायत  
 खेरवाड़ा के खार्त दर्ज है। जिसके  
 विवाद ग्राहक आराजी नं० 824, 825  
 826, 827, 828 क्रमक. 2004,  
 2003, 8104 किताब 3 खण्ड 10/11 किताब  
 तिरवार

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म क  
मे ज

जिस्का किछ वाफ अतागत वरत  
88, 188 R.N. Act के तहत जमानत  
मे विद्यावाच्यी है। प्राथम पत्र  
का अवलोकन करके एवं मता  
का यह आदेश किया जाता है कि  
अप्राथमिक सं. 1 व 2 मुल वाफ  
के विस्तारण तक प्राथमिक  
कलज की ~~कलज~~ वादग्रस्त भूमि  
मे किसी प्रकार का कलजा  
नहीं करे वरुं न ही किसी अन्तर्गत  
करके वादग्रस्त भूमि कि स्थिति  
प्रभाव बनाये रखे। अप्राथमिक  
मुल वाफ के विस्तारण तक  
जारी अन्तर्गत विप्रेक्षा का  
पाबन्ध किया जाता है। परायणी  
फैसल सुमार दोकर नम्बर संकेत  
है। तथा मुल वाफ पत्र के साथ  
बन्दी है।

  
उपस्थित अधिकारी  
देरवाहा जि उदयपुर